राजस्व लोक अदालत
अभियान न्याय आपके द्वार 2016
कैम्प. सोमवारपुरा

16/8/16 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संलग्न रिकार्ड एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act 1956

बाबत सीमा विवाद की पत्रावली गढीकले के प्रकरण में अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सायलान अतरकौर, नन्दराम, रमेश तीनों द्वारा गैर सायल तहसीलदार हिण्डौन को बनाया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2067 70 पृ० 89 पंचायत खोला नं० 78 के खसरा नं० 508, 511 में सायलान 1/8 हिस्से के खातेदार है। जिससे स्पष्ट होता है कि अन्य संयुक्त खातेदार भी है जिन्हें मूल प्रार्थना पत्र धारा 128 LRA में गैरसायलान बनाया जाना आवश्यक था। अतः प्रकरण के सायल प्रथम दृष्टया तकासमा RTA धारा 53 के तहत कार्यवाही करने के अलावा धारा 128 L.RA की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में राजस्व लोक अदालत केम्प में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner